रिज़र्व बैंक अभिलेखागार - भावी दिशा *

दुव्वुरी सुब्बाराव

मुझे भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेखागार म्यूजियम के उद्घाटन में आज यहां उपस्थित होकर प्रसन्नता महसूस हो रही है। आप सब को स्मरण होगा कि रिज़र्व बैंक का प्लेटिनम जयंती समारोह अभी-अभी समाप्त हुआ है। इस समारोह के अंग के रूप में हमने जो आयोजन और पहल किए, वे रिज़र्व बैंक के विकास की अंतर्वीक्षा, उसकी वर्तमान और भावी चुनौतियों पर तथा इस बात पर केंद्रित थे कि रिज़र्व बैंक अपने उद्देश्य किस तरह से बेहतर तरीके से पूरे करे ताकि हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। आज हम जिस म्यूजियम का उद्घाटन कर रहे हैं उसकी विषय-वस्तु 'भारतीय रिज़र्व बैंक का विकास - 1935-2010' पीछे देखकर आगे बढ़ने की हमारी तलाश की सतत प्रक्रिया का एक अंग है।

2. मैंने रिज़र्व बैंक के अभिलेखागार का दौरा पिछले साल जून में सीएबी आने पर किया था। यह एक संक्षिप्त दौरा था; उस संक्षिप्त दौरे में भी मैंने यहाँ परिरक्षित सामग्री के ऐतिहासिक मूल्य के रूप में उसकी समृद्धि का अनुभव किया। मुझे खुशी है कि आज मुझे यहां और समय बिताने तथा बहुमूल्य दस्तावेज, फोटोग्राफ, कलाकृतियों तथा अभिलेखागार में प्रदर्शित मुद्रा देखने का अवसर मिला है। मुझे यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि हाल ही में अभिलेखागार म्यूजियम का नवीकरण किया गया है ताकि बड़ी संख्या में अभिलेखों को बेहतर तथा दर्शकोपयोगी रूप में प्रदर्शित किया जा सके।

3. 'archive' शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द 'arkheion' से हुआ है जिसका तात्पर्य 'archon' अथवा शासक के ऐसे गृह अथवा निवास से है, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय कागजात रखे जाते हैं तथा जिनकी व्याख्या शासक के प्राधिकार के तहत की जाती है। इन अभिलेखागारों में परिरक्षित दस्तावेज और अन्य सामग्री उन समृद्ध ऐतिहासिक विषय-वस्तुओं, जिनका वे मूर्त रूप हैं, की तरह मूल्यवान होती हैं। जैसाकि कहा जाता है कि अंतरण का क्रम आंकड़ों

* 1 जून 2010 को पुणे में रिजर्व बैंक के अभिलेखागार म्यूजियम 'भारतीय रिजर्व बैंक का विकास - 1935-2010' के उद्घाटन के अवसर पर डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणियां।

से जानकारी में तथा उससे ज्ञान में और उससे बुद्धिमत्ता में निहित रहता है। इस प्रकार के अभिलेखागार से आनुक्रमिक संक्रमण में मदद मिलती है। रिज़र्व बैंक के ये अभिलेखागार बैंक के स्टाफ के लिए सूचना के आंतरिक भंडार मात्र नहीं हैं; अपितु ये अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व वाली घटनाओं और अवसरों के रिकार्ड हैं।

4. हम एक ऐसी आवश्यक द्विविधा से प्रायः ग्रस्त होते हैं जिसके बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता साल बेलो ने एक बार कहा था, 'क्या हम कभी याद करना भूल सकते हैं?', हममें से कई लोगों के लिए ये अभिलेखागार वर्तमान की तात्कालिकता से 'पलायन की भावना हेतु हमारी असाध्य प्यास' की खोज की अनुमति देते हैं। यहां पर जो ऐतिहासिक अभिलेख और दस्तावेज मौजूद हैं वे ऐसे दृश्य और चित्र प्रस्तुत करते हैं जो समयातीत हैं तथा हमारी संस्थागत स्मृतियों के झरोखे में जाने में हमारी मदद करते हैं।

5. आइए, इसके बारे में सोचें 'यह देखकर आश्चर्य होता है कि वस्तुओं के चारों ओर कितनी स्मृतियां छिपी होती हैं जो उनके उद्भव के समय दिखाई नहीं देतीं'। हर दस्तावेज, हर वस्तु, यहां मौजूद हर कलाकृति ऐसी घटना का रिकार्ड है अथवा किसी ऐसी घटना की ओर संकेत करती है जो वास्तविक समय में समकालिक सेटिंग का महसूस न किया गया अंग हो सकती है। परंतु इतने समय बाद उनकी ओर सिंहावलोकन करने पर हमें रिज़र्व बैंक के बारे में कहानियों का ऐसा खजाना मिलता है जो भिन्नतापूर्ण और आकर्षक है। उदाहरण के लिए रिज़र्व बैंक, जो देश में सबसे बड़ा है, के बारे में 'एक शोषक दल अथवा चौगुटा' के हाथ में जा सकने'; और उसे रोकने के लिए प्रयास करने की आशंका का साझा मुद्दा हो सकता है। इसके बाद रिज़र्व बैंक द्वारा स्टाफ की भर्ती के लिए जारी किए गए उस पहले विज्ञापन की कहानी सामने आती है जिसकी वजह से उस समय कलकत्ता की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया था।

6. अथवा रिज़र्व बैंक की सील की ही कहानी ले लें। सील का अनुमोदन रिज़र्व बैंक के बोर्ड द्वारा किया गया था। फिर भी बैंक के उस समय के उप गवर्नर सर जेम्स टेलर उससे निराश थे। उन्होंने भारत सरकार के टकसाल तथा नाशिक स्थित सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा नया स्केच बनाए जाने का आदेश दिया। वे सील पर बाघ की छबि से असंतुष्ट थे, शायद इसलिए क्योंकि वह बाघ जैसा नहीं दिख रहा था।

7. सर जेम्स को जीवित बाघ का फोटो लेनेवाला कोई नहीं मिल सका। अतः उन्होंने दूसरा बेहतर काम करते हुए कलकत्ता में बेलवेडर में प्रवेश गृह पर मौजूद बाघ की मूर्ति का फोटोग्राफ लेने का आदेश दिया। सर जेम्स स्पष्टतः ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें खुश करना आसान नहीं थाः वे उन स्केचों से भी खुश नहीं हुए।

8. सर जेम्स ने स्पष्ट रूप से थोड़ी फक्कड़बाजी में लिखा कि 'यह बाघ कुत्ते की किसी जाति जैसा दिखता है तथा मुझे डर है कि एक पेड़ के नीचे कुत्ते की डिजाइन श्रद्धाहीन लोगों के बीच उपहास का विषय बन सकती है'।

9. बाघ के साथ किए गए दूसरे प्रयास का बेहतर परिणाम सामने आया। परंतु खजूर का पेड़ ठीक नहीं बन पाया। तुनकमिजाज सर जेम्स ने पुनः लिखा, ''बाघ स्पष्ट रूप से अच्छा लग रहा है परंतु पेड़ की छबि ने इसे खराब कर दिया है। तना बहुत लंबा है तथा उसकी शाखाएं बहुत अधिक मकड़जाल जैसी हैं, परंतु हमें यह सोचना चाहिए था कि बाघ के पैरों के नीचे एक पक्की लकीर डालकर तथा पेड़ को सुदृढ़ तथा छोटा बनाकर हम डिजाइन से काफी अच्छा परिणाम हासिल कर सकते थे''।

10. नाशिक स्थित सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस को तब तक दुबारा कार्य करना पड़ा जब तक उसे बेहतर परिणाम नहीं मिल गया जिसे अंततः सर जेम्स ने अनुमोदित कर दिया।

11. मैंने यह कहानी यहां सिर्फ इसलिए याद नहीं की कि यह इन अभिलेखागारों में हमारे इतिहास का अंग परिरक्षित

है, इसलिए भी नहीं कि यह दिलचस्प और हास्यकर है, अपितु इसलिए भी क्योंकि हमारे कई स्टाफ, विशेष रूप से वे जो केंद्रीय कार्यालय से हैं और मुझे निकट से जानते हैं, यह पाते हैं कि मैं मार्जिन, फार्मेट, लाइन स्पेसिंग आदि जैसी छोटी-छोटी बातों के बारे में तुनकमिजाज हूं। उनमें से कई लोग ऐसा महसूस करते हैं, जो शायद ठीक हो, कि गवर्नर को अपना समय और प्रयास अधिक बड़ी चिंताओं यथा, उदाहरण के लिए, स्टाफ कफेटीरिया के मेनू पर लगाना चाहिए। सर जेम्स तथा सील की कहानी मेरे लिए सुखद विषय है। यह दर्शाता है कि मेरे कुछ प्रमुख पूर्वाधिकारी समान रूप से तुनकमिजाज, स्वीकार्य रूप से अधिक महत्वपूर्ण बातों के बारे में, थे। आशा है कि आगे की पीढ़िया मेरी तुनकमिजाजी की सराहना करेगी भले ही वर्तमान स्टाफ मुझे एक 'न्यूसन्स' समझता हो।

12. रिज़र्व बैंक का गत 75 वर्षों का इतिहास वस्तुतः ऐसी दिलचस्प घटनाओं और गतिविधियों से भरा हुआ है। यह अभिलेखागार ऐसी कहानियों की याद दिलाता है तथा इनमें एडवर्ड यंग कमीशन की रिपोर्ट के ऐसे उद्धरण जिनमें भारत के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक नामक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई है, भारतीय रिज़र्व बैंक का परिचालन शुरू होने पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर को 1 अप्रैल 1935 को भारत के वाइसराय द्वारा भेजा गया बधाई संबंधी तार, रिज़र्व बैंक विधेयक 1934 का मसौदा, केंद्रीय निदेशक बोर्ड की पहली बैठक के कार्यवृत्त और फोटोग्राफ, करेंसी नोटों की डिजाइन तथा सिक्कों और सोने को तौलने के लिए पहले प्रयुक्त बाट, रिज़र्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सर सी.डी.देशमुख को पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का पत्र जिसमें बिगड़ रही आर्थिक स्थिति पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भेजने एवं उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पत्र जिसमें उनके बेटे राजीव के विदेश अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए अनुरोध किया गया था, लंदन स्थित रिज़र्व बैंक के कार्यालय को बंद करने के कारण तथा 1966 में रुपए के अवमूल्यन संबंधी बातें शामिल हैं।

13. इस अभिलेखागार में ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेख भी हैं जो रिज़र्व बैंक के स्थापना के पहले के हैं। उदाहरण के लिए, रिज़र्व बैंक के अभिलेखागार में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा भारत सरकार की ऐसी निरस्त प्रतिभूतियां और बांड शामिल हैं जो 1777-1894 की अवधि से संबंधित हैं। इस प्रकार के अभिलेख उस समय की आर्थिक स्थिति की याद दिलाते हैं तथा इनका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है।

14. अगस्त 1981 में स्थापित रिज़र्व बैंक का अभिलेखागार देश के सबसे पुराने कारपोरेट अभिलेखागारों में से एक है। यह बैंक के बहुमूल्य अभिलेखागारात्मक धरोहर को परिरक्षित करने का अग्रणी प्रयास है जो उस समय पूरे देश में, केंद्रीय कार्यालय के विभागों में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में बिखरा हुआ था। रिज़र्व बैंक के अभिलेखागार का दुहरा उद्देश्य यह था - (i) बैंक के केंद्रीय अभिलेखागार के रूप में कार्य करना; तथा (ii) बैंक के लिए स्थायी महत्व वाले गैर चालू रिकॉर्डों के अभिलेखागारात्मक आधान के रूप में कार्य करना।

15. विगत 28 वर्षों में रिज़र्व बैंक का अभिलेखागार इन उद्देश्यों के अनुसरण में, विशेष रूप से स्थायी ऐतिहासिक और विधिक मूल्य वाले गैर चालू रिकॉर्डों की पहचान करने, उन्हें अर्जित करने, परिरक्षित करने और उपलब्ध कराने के कार्य में संलग्न है। यह भावी पीढ़ी का रिक्थ (लीगैसी) है।

16. जानकारी के आदान-प्रदान और विचारों के प्रसार में अभिलेखागारात्मक संस्थाएं और अभिलेखागारपाल प्रमुख खिलाड़ी हैं। रिज़र्व बैंक के अभिलेखागार को भी बैंक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रिकॉर्डों के मूल्यांकन और चयन तथा विभिन्न विभागों और कार्यालयों के लिए परिरक्षण

अनुसूची बनाने का कार्य सक्रिय रूप से करना चाहिए। हमें अभिलेखों के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को और कारगर बनाना चाहिए। अभिलेखों के प्रबंधन का एक अच्छा सिद्धांत यह है कि अभिलेखों के निर्माण और उनके विनाश के बीच उचित अनुपात होना चाहिए क्योंकि उनके प्रबंधन के लिए उपलब्ध स्थान और समय सीमित होता है।

17. परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो जीवन में स्थायी है। तालपत्र और चर्मपत्र संबंधी अभिलेखों के स्थान पर काग़ज़ी अभिलेख आ गए तथा अब काग़ज़ का स्थान इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख ले रहे हैं। डिजिटल अभिलेखों को पुनःप्राप्त करने की चुनौती काग़ज़ी अभिलेखों को पुनःप्राप्त करने की चुनौती की तुलना में गुणात्मक रूप में भिन्न है। रिज़र्व बैंक में अब हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है, जिसमें काग़ज़ी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के अभिलेखों का सृजन हो रहा है। भविष्य में रिज़र्व बैंक के अभिलेखागारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि भौतिक से डिजिटल अभिलेखों में इस संक्रमण का प्रबंधन दक्षतापूर्वक किया जाए।

18. दुनिया सूचना संबंधी क्रांति के दौर से गुजर रही है। यह पिष्टोक्ति है, पर सही है। हमारे द्वारा बहुत तेज गति से बड़े परिमाण में जानकारी का सृजन और भंडारण किया जा रहा है। इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि बड़े परिमाण में जानकारी के भंडारण की क्षमता मात्र से बड़े परिमाण में जानकारी के भंडारण की उत्प्रेरणा मिल रही है तथा इस बात पर विचार नहीं किया जा रहा है कि क्या उनका कोई संभाव्य मूल्य है। अतः रिज़र्व बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्था सहित ऐसे संगठनों के लिए इस बात का संभाव्य रूप से बड़ा महत्व है कि सूचना का प्रबंधन किया जाए अर्थात यह निर्णय लिया जाए कि किसे परिरक्षित किया जाए, किस तरह परिरक्षित किया जाए, कहां परिरक्षित किया जाए तथा उसे किस तरह पुनःप्राप्त किया जाए।

19. सूचना अधिकार अधिनियम ने सार्वजनिक संस्थाओं से सूचना के भंडारण और उसकी पुनःप्राप्ति में नया आयाम जोड़ा है। सूचना अधिकार अधिनियम के पीछे निहित वास्तविक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम सही जानकारी स्वल्प समय में देने में सक्षम हों। इसका तात्पर्य यह है कि अनुरोध की गई जानकारी, और सिर्फ वही जानकारी जिसके लिए अनुरोध किया गया है, सही समय पर प्रस्तुत करने से आवेदक का प्रयोजन पूरा हो जाएगा। प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा अभिलेखागारात्मक प्रणाली को इस दायित्व को पूरा करने में स्वयं को सुसज्जित करना चाहिए।

20. सूचना के प्रबंधन के पथप्रदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं - पहला, जानकारी को बांटा जाना चाहिए; दूसरा, जानकारी पहुंच के अंदर होनी चाहिए; तीसरा, जानकारी से हमें अधिक दक्षतापूर्वक काम करने में मदद मिलनी चाहिए; चौथा, अंततः जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि सभी को यह महसूस करना चाहिए कि जानकारी संबंधी बहुमूल्य संसाधन का प्रबंधन सबकी साझी जिम्मेदारी है। रिज़र्व बैंक में जानकारी के सफल प्रबंधन से मिलनेवाले तुलनात्मक लाभ तथा दक्षता संबंधी अभिप्राप्ति के प्रति हम अधिकाधिक जागरूक होते जा रहे हैं। अतः हमारे अभिलेखागारों की साझेदारी तथा उनका दीर्घावधि परिरक्षण एवं धारणीय अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य डिजिटल बुनियादी ढांचा तथा खुली अन्तर्वस्तु की जरूरत है। अभिलेखागारपालों तथा अभिलेख प्रबंधकों को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी ताकि निर्णय लेने के लिए एक कारगर साधन के रूप में अभिलेखों तक पहुंच और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके।

21. किसी भी औपचारिक अभिलेखागारात्मक प्रणाली के समर्थन में एक सुस्पष्ट अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंध नीति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए रिज़र्व बैंक में अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंध नीति में अपने पास मौजूद चालू, अर्ध-चालू तथा गैर-चालू अभिलेखों की उचित देखभाल एवं उनका प्रबंधन तथा बाद में अभिलेखागारों को उनका

स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कार्यालय के विभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के उत्तरदायित्व को परिभाषित किया जाना चाहिए। साथ ही, रिज़र्व बैंक के विभागों एवं कार्यालयों को इस बात के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है कि वे प्रशासनिक, ऐतिहासिक एवं विधिक मूल्यवाले गैर-चालू स्थायी अभिलेखों की शुरू में पहचान करने तथा उनको अलग करने और समय पर उन्हें अभिलेखागारों को स्थानांतरित करने के महत्व को समझें। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रिज़र्व बैंक की अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंध नीति को केंद्रीय निदेशक बोर्ड की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा शीघ्र ही हम इसका कार्यान्वियन करेंगे।

22. मूल अभिलेखों का उपयोग स्रोत सामग्री के रूप में करते हुए ऐतिहासिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक के अभिलेखागार इस साल से अधिक पुराने सभी गैर-चालू स्थायी अभिलेखों तक पहुंच की अनुमति प्रदान करते हैं। इस प्रकार की पहुंच की सुविधा स्नातकोत्तर छात्रों, अनुसंधानकर्ताओं, तथा रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों के स्टाफ-सदस्यों और अन्य संस्थाओं के छात्रों को उपलब्ध है। जैसा कि अर्थशास्त्री बताते हैं, आपूर्ति से हमेशा मांग का सृजन नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अभिलेखों तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी उदार नीति रिज़र्व बैंक के अभिलेखागारों के लिए एक अलग बात है। अनुसंधान के प्रयोजन के लिए अभिलेखों के अध्ययन हेतु मांग का सृजन एक और बात है। इसके बाद ही हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकेंगे जब मांग और आपूर्ति में संतुलन होगा। अतः मैं रिज़र्व बैंक के अभिलेखागारों के प्रबंधकों से अनुरोध करूंगा कि वे आपूर्ति पक्ष संबंधी प्रतिसादों से बाहर निकलकर अपने पास रखे गए अभिलेखों के बारे में इस तरह से जानकारी के प्रसार के लिए अभियान चलाएं ताकि संभाव्य विद्वानों की उसके प्रति भूख बढ़ सके।

23. जैसाकि मैं पहले कह चूका हूं, हमने अभी-अभी रिज़र्व बैंक के प्लैटिनम जयंती समारोह संपन्न किए हैं। इस समारोह के दौरान प्रलेखों, फोटोग्राफों, वीडियो क्लिपों तथा फिल्मों के रूप में विभिन्न प्रकार की यादगार सामग्रियां तैयार की गई हैं। मैं अभिलेखागारों के प्रबंधन से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसी सभी सामग्री एकत्र करें, उसे देखें, उसे वर्गीकृत करें तथा उसका परिरक्षण करें। मुझे विश्वास है कि इसका ऐतिहासिक एवं 'नॉस्टाल्जिक' मूल्य होगा तथा इसके अलावा मुझे आशा है कि यह भावी गवर्नर के लिए मार्गदर्शन का कार्य भी करेगा क्योंकि 2035 में रिज़र्व बैंक का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा।

24. जैसाकि ब्रिटिश अभिनेता जेरेमी आइरन्स ने एक बार कहा था 'हम सबके पास अपना समय यंत्र है। कुछ हमें पीछे ले जाते हैं जिन्हें हम स्मृति कहते हैं। कुछ हमें आगे ले जाते हैं जिन्हें हम स्वप्न कहते हैं।' आज हम रिज़र्व बैंक के जिस अभिलेखागार म्यूजियम का उद्घाटन कर रहे हैं उसके बारे में मुझे आशा है कि वह एक कारगर समय यंत्र का कार्य करेगा क्योंकि रिज़र्व बैंक के हम सब कर्मचारी तथा हमारे सभी पणधारी अतीत की हमारी स्मृतियों और भविष्य के हमारे स्वप्नों का सामना करते हैं।

25. रिज़र्व बैंक के अभिलेखागार ने एक संस्था के रूप में इसकी विषय-वस्तु की सत्यता, अभिलेखों के प्रबंधन तथा इसके स्टाफ की पेशेवराना विशेषज्ञता के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। आज जिस म्यूजियम का उद्घाटन किया जा रहा है वह उत्कृष्टता की खोज जारी रखने की एक और पहल है। मैं कृषि बैंकिंग महाविद्यालय की प्राचार्य कुमारी कमला राजन, मुख्य अभिलेखागारपाल श्री अशोक कपूर तथा अभिलेखागार के स्टाफ-सदस्यों को उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य के लिए बधाई देता हूं तथा अभिलेखागार को और अधिक प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं।